न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
059/2018 (GCMS 2018/00175)	**17.09.2018**	**17.03.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. अशोक केवलानी पुत्र भगवान दास (विक्रेता)
मो. नं. 09887334004
मैसर्स एन.बी. ट्रेडर्स नवाबगंज, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.)
निवासी 149, आर.के कॉलोनी गली नं. 6,
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.)
2. हर्षा देवी केवलानी पत्नि डालचन्द केवलानी (मालिक)
मैसर्स एन.बी. ट्रेडर्स नवाबगंज, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ 312001 (राज.)
निवासी 149, आर. के कालोनी गली नं. 6,
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ –312001 (राज.)

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2018 को समय 05.10 पीएम. पर मैसर्स एन.बी. ट्रेडर्स नवाबगंज, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुँचें। वहां पर अशोक केवलानी पुत्र भगवान दारा (विक्रेता) उक्त फर्म में विक्रेता फर्म की हैसियत से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (24 **Carats** ब्राण्ड) व अन्य किराणा सामान आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य लाईसेन्स मांगने पर प्रस्तुत किया गया एवं खाद्य लाईसेन्स प्रति प्रस्तुत की जो कि संलग्न है। विक्रेता ने बताया कि उक्त फर्म के मालिक हर्षा देवी केलवानी है। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर मिर्च पाउडर (24 **Carats** ब्राण्ड) बेच नम्बर **M08** के कुल 28 सील्ड पोलिपेक (प्रत्येक सील्ड पोलिपेक में 500-500 ग्राम मिर्च पाउडर (24 **Carats** ब्राण्ड) विक्रय हेतु रखे पाये गये। उक्त में से 1 सील्ड पोलिपेक मिर्च पाउडर (24 **Carats** ब्राण्ड) को ध्यान से देखने पर उस पर मिर्च पाउडर (24 **Carats** ब्राण्ड) **Net Weight** 500 **g.**, **Batch No. M08 M.R.P.** 155/- **Mfg. Date** 01 **Nov.** 17 **Best before 12 MONTHS FROM THE DATE OF PACKAGING, Mfg. By- PRK COMMODITIES Pvt. Ltd. Survey no.** 87/5, **Himmat Nagar Road, Village Palda-Indore (M.P.)** आदि अंकित पाया गया। विक्रता ने उक्त मिर्च पाउडर (**24 Carats** ब्राण्ड) का वेट ईनवाईस/खरीद बिल बाद में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। उक्त मिर्च पाउडर (24 **Carats** ब्राण्ड) में मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु बार-बार आग्रह किया गया किन्तु किसी के भी गवाह बनने हेतु तैयार न होने पर महेन्द्र सिंह को गवाह बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही उनके सामने की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के 500-500 ग्राम के 4 सील्ड पोलिपेक वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 360/- नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर-बराबर भागों में (प्रत्येक भाग मे 1 सील्ड पेकेट) बॉट कर अलग-अलग रखा। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजो में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-930** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीर से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रता को उक्त नमुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब मे जाँच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहन का पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो, न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न हैं। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स एन.बी. ट्रेडर्स निम्बाहेड़ा को उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल हेतु बार–बार रजिस्टर्ड पत्रों से सूचना चाही गयी जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/1782 दिनांक 09.04.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया था जो कि मिसब्रान्डेड होना पाया गया था। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। मैसर्स एन.बी. ट्रेडर्स निम्बाहेड़ा को रजिस्टर्ड डाक से जांच रिपोर्ट की एक प्रति नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ के द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसकी मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 1782 दिनांक 09.04.2018 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/3889 दिनांक 13.09.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया हैं, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने मिर्च पाउडर (24 **Carats**) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (**II**) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 27.12.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 हाजिर आये एवं अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की और से जवाब परिवाद पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थीगण ने बताया कि फर्म की प्रोपराईटर श्रीमति हर्षादेवी केवलानी के द्वारा दिनांक 14.09.2018 माननीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी जी को श्री अशोक कुमार पिता भगवानदास केवलानी के पक्ष में मुख्तयारनामा पेश कर दिया है। जिसकी प्रतिलिपि इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। फर्म के जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, लाईसेंस की फोटो प्रति, एवं अशोक कुमार जी केवलानी के पक्ष में नोमीनी लेटर भी दिनांक 14.09.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त नोटीस क्रमांक 3821 जो कि प्रार्थी को दिनांक 11.09.2018 को डाक द्वारा प्राप्त हुआ, के जवाब में खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में पेश कर दिया गया है। जिसकी प्राप्ती की रसीद भी जवाब के साथ संलग्न है। सेम्पलिंग एवं वाद में सेम्पल वाले खाद्य पदार्थ का खरीद करने का बिल श्रीकृष्णा ट्रेडर्स प्लाट नंबर 316-4 सी. जमनापुरी मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान का बिल नंबर 391 दिनांक 04.12.2017 मिसप्लेस हो जाने एवं ढूढंने पर भी नही मिल पाने के कारण पेश नही किया जा सका। अब वह बिल इस जवाब के साथ पेश है। चूंकि खाद्य पदार्थ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसका नमुना लिया गया था। वह पेक्ड (**Packed**) हालत में था। उसमें अभियुक्त द्वारा कोई छेडछाड की हुई नही थी, एवं क्रय बिल से खरीद शुदा था, उसमें नियमानुसार पेक्ड (**Packed**) पर जो लिखना आवश्यक था। उसकी जिम्मेदारी अभियुक्तगण की नहीं होने से मिसब्रांड हेतु अभियुक्त उत्तरदायी नही होने से मामला निरस्त फरमाया जावे। अतः यह जवाब व रिप्रजेन्टशन पेश कर निवेदन हैं कि अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जवाब परिवाद शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं।

दिनांक 17.03.2021 को अप्रार्थी की और से अधिवक्ता पंकज टेलर हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सेम्पलिंग एवं वाद में सेम्पल वाले खाद्य पदार्थ का खरीद करने का बिल श्रीकृष्णा ट्रेडर्स प्लाट नंबर 316–4 सी. जमनापुरी मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान का बिल नंबर 391 दिनांक 04.12.2017 मिसप्लेस हो जाने एवं ढूंढने पर भी नही मिल पाने के कारण पेश नही किया जा सका। अब वह बिल इस जवाब के साथ पेश है। चूंकि खाद्य पदार्थ जिसका नमुना लिया गया था। वह पेक्ड (**Packed**) हालत में था। उसमें अभियुक्त द्वारा कोई छेडछाड की हुई नही थी, एवं क्रय बिल से खरीद शुदा था, उसमें नियमानुसार पेक्ड (**Packed**) पर जो लिखना आवश्यक था। उसकी जिम्मेदारी अभियुक्तगण की नहीं होने से मिसब्रांड हेतु अभियुक्त उत्तरदायी नही होने से मामला निरस्त फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (24 **Carats** ब्राण्ड) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरीद बिल से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.02.2018 का अवलोकन किया। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.02.2018 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (24 **Carats** ब्राण्ड) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-930** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 62 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2018/747 दिनांक 26.02.2018 से पत्रवाहक महेन्द्रसिंह (सहायक कर्मचारी) के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-930** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद को अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्रसिंह (सहायक कर्मचारी) द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 26.02.2018 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)**(ii)** एवं 2.4.1(10)**(iii)** के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2018/1782 दिनांक 09.04.2018 से अप्रार्थी संख्या 1 को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 89/Act/2018/90 Dated 13-03-2018** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 89/Act/2018/90 Dated 13-03-2018** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

Report No LS 89/Act/2018/90 Dated 13-03-2018

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat, Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Red Chilli Powder (24 Carats brand) bearing code no. and serial no. AM- 930 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 26.02.2018 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum ,in sealed envelope.

I found the sample to be Salt, spices condiments and related products falling under Regulation No. 2.9.3.2 Red Chilli Powder of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 12.03.2018 to 13.03.2018 and the result of its analysis is given below-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sealed sample contained in a plastic box having original company aluminum poly pack of 500g. Given Chilli powder in this packet contains an admixture of not more than 2% edible oil but the name of edible oil is absent.Contravention to Regulation 2.4.5(12) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.
(ii) Physical appearance:- Red powder, No visible insect infestation or mould growth.
(iii) Label :-- Brand- 24 Carats, Name of food- Red Chilli Powder, Mfg. by- PRK Commodities Pvt. Ltd., Survey No.- 87/5, Himmat Nagar Road, Village Palda-Indore (M.P.), Pkd. on.- 01/11/2017, Lot No.- M08, Best before 12 Months- Present, Green symbol of veg.- Present. Nutrition information-Present, Agmark C.A. No.- A/2-3242, Bar code no.- 8908000713031, Fssai Lic. No.- 10014026000531.
Ingredients- Given but not as per regulation Contravention to Regulation 2.2.2(2)(b) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.
Opinion:- The sample of Red Chilli Powder (24 Carats brand) bearing code no. and serial no. AM-930 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh is misbranded food asContravention to Regulation 2.2.2(2)(b) & 2.4.5(12) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. The sample is misbranded food under section 3(1)(ZH)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 62 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 12.03.2018 से 13.03.2018 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Salt, spices condiments and related products falling under Regulation No. 2.9.3.2 Red Chilli Powder of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011., The sealed sample contained in a plastic box having original company aluminum poly pack of 500g. Given Chilli powder in this packet contains an admixture of not more than 2% edible oil but the name of edible oil is absent.Contravention to Regulation 2.4.5(12) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, एवं Ingredients- Given but not as per regulation Contravention to Regulation 2.2.2(2)(b) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011**. है, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-930** मिर्च पाउडर (24 **Carats** ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(Zf)(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड स्तर का पाया गया है। जिसकी पुष्टि स्वरूप खाद्य विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई हैं जो कि रिकार्ड पर है। हमने अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2018/1782 दिनांक 09.04.2018 से अप्रार्थी संख्या 1 को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/ एफएसएसए/2018/3889 दिनांक 13.09.2018 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब परिवाद में उठाये तथ्यों के संबंध में विपक्षीगण द्वारा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जबकि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया जबकि अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये मात्र कथन किया गया एवं कथनों के पुष्टि में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। उक्त खाद्य पदार्थ का विपक्षी के पास बिल का नहीं होना जाहिर होता है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.
(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
- (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.
(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.
(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

- (1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.
- (2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–
  - (a) Supplied after the date of its expiry; or
  - (b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
  - (c) Unsafe or misbranded; or
  - (d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
  - (e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
  - (f) received by him with knowledge of being unsafe.
- (2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –
  - (a) sold after the date of its expiry; or
  - (b) handled or kept in unhygienic conditions; or
  - (c) misbranded; or
  - (d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय का एवं अप्रार्थी संख्या 2 उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता फर्म के प्रोपराईटर होने से अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता है, से अप्रार्थी संख्या 1 श्री अशोक केवलानी पुत्र भगवान दास (विक्रेता) मो. नं. 09887334004 मैसर्स एन.बी. ट्रेडर्स नवाबगंज, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.) निवासी 149, आर.के कॉलोनी गली नं. 6, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.) एवं अप्रार्थी संख्या 2 उक्त खाद्य पदार्थ की विक्रेता फर्म के मालिक होने से अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती हर्षा देवी केवलानी पत्नि डालचन्द केवलानी (मालिक) मैसर्स एन.बी. ट्रेडर्स नवाबगंज, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ 312001 (राज.) निवासी 149, आर. के कालोनी गली नं. 6, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ –312001 (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

विपक्षी संख्या 1, एवं 2 की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अर्थदण्ड विपक्षीगण को किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री अशोक केवलानी पुत्र भगवान दास (विक्रेता) मो. नं. 09887334004 मैसर्स एन.बी. ट्रेडर्स नवाबगंज, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.) निवासी 149, आर.के कॉलोनी गली नं. 6, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.) को रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र, खाद्य पदार्थ की विक्रेता फर्म के प्रोपराईटर होने से अभियुक्त संख्या 2 श्रीमती हर्षा देवी केवलानी पत्नि डालचन्द केवलानी (मालिक) मैसर्स एन.बी. ट्रेडर्स नवाबगंज, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ 312001 (राज.) निवासी 149, आर. के कालोनी गली नं. 6, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ –312001 (राज.) को रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र अर्थात कुल रूपये 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>17.03.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested